३४५

FEE INDIA TEN RUPEES भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प. क्र. III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2238
/17

1. रामजीलाल पुत्र श्री लाल राठौर
2. अरविन्द पुत्र श्री कप्तान राठौर
3. उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री कप्तान सिंह राठौर
4. कमला देवी बेवा कप्तान राठौर

समस्त निवासीगण ग्राम लाडियाहार

तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.

--- आवेदकगण

राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता
16-6-16

विरुद्ध

दिनांक 17.7.17 को
श्री राजेन्द्र शर्मा अभि०
द्वारा प्रस्तुत।
17.7.17
SO

1. जगदीश पुत्र मातादीन राठौर
2. मुन्नी लाल पुत्र सूबो राठौर
3. द्वारिका प्रसाद पुत्र चन्द्रभान राठौर
4. बृजेश पुत्र रामनरेश राठौर
5. राघवेन्द्र , लालू पुत्र रामनरेश राठौर
6. बबलू , बलराम , मनोज पुत्र बेताल राठौर
7 सतीश पुत्र रामगोपाल राठौर
8. राजू पुत्र शिवनाथ राठौर
9. रामनिवास पुत्र रामसिंह राठौर
10. रामविलास , रामचरण , सुरेन्द्र ,जितेन्द्र
पुत्रगण रामजीराठौर
11. मुसम्मात दाखश्री बेवा रामदीन राठौर
12. सोमवती पुत्री रामजी राठौर
13. सुदामा पुत्री कप्तान राठौर
14. मीरा पुत्री कप्तान राठौर

15. मंजू पुत्री कप्तान राठौर

समस्त निवासीगण ग्राम डांडियाहार

तह.सील अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि. 2011 म.प्र.भू.रा.स. 1959, विरूद्ध आदेश दिनाक 06.7.17 द्वारा पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना प्र.क्र. 94/16-17 अपीलमाल मुन्नी लाल विरूद्ध जगदीश के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

प्रार्थीगण का आवेदन निम्न प्रकार है:-

प्रकरण संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, प्रकरण मे वर्णित सर्वे नम्बरान स्थित मौजा डांडियाहार तह. अम्बाह के सम्बंध मे जगदीश व द्वारिका प्रसाद द्वारा एक आवेदन पत्र म0प्र0 भू.रा.स. 1959 की धारा 178 के तहत तहसीलदार अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी भूमि का जो कृषि स्वरूप की है तथा सिंचाई आदि करने मे सुविधा होती है इस कारण बटवारा कर दिया जाये ।

2. यह कि, प्रकरण मे विचारण न्यायालय द्वारा इश्तहार एवं उदघोषणा का प्रकाशन कराया व उभयपक्षों को तलब कर जबाव आदि का अवसर देकर साक्ष्य ग्रहण की तथा मौजा पटवारी को फर्द पेश करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर सभी पक्षों की सहमति से मौजा पटवारी द्वारा फर्द बटवारा तैयार कर श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा दि. 31.5.17 को विधि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2238

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	